प्रेस विज्ञप्ति

16.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय द्वारा 13.04.2026 एवं 14.04.2026 को 32वें एवेन्यू समूह तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध चल रही जांच के संबंध में दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर एवं मुंबई स्थित कुल 7 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत दिल्ली पुलिस एवं गुरुग्राम पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज अनेक प्राथमिकी के आधार पर की गई। जांच में पाया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निवेशकों को प्रलोभन देना, संपत्तियों का कब्जा न सौंपना, धनराशि का विचलन एवं गबन करना, जाली एवं कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण एवं उपयोग करना, वैधानिक देयताओं का भुगतान न करना तथा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धन शोधन करना जैसी संगठित एवं सुनियोजित आपराधिक गतिविधियां की जा रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में अपराध से आय अर्जित की गई।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि अभियुक्तों द्वारा निवेशकों की धनराशि का अवैध रूप से विपथित कर ₹500 करोड़ से अधिक की अपराध की आय अर्जित की गई। इसके पश्चात् उक्त धनराशि को मुखौटा/बेनामी संस्थाओं के विभिन्न खातों के माध्यम से परतन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अभियुक्तों द्वारा आभासी वाणिज्यिक स्थानों को अनेक निवेशकों को बेचा गया, तत्पश्चात् उन्हीं स्थानों को पट्टे पर लेकर कुछ समय तक आकर्षक किराये के रूप में रिटर्न प्रदान किया गया। इसके उपरांत उन्हीं आभासी स्थानों को परियोजना के विन्यास मानचित्र में परिवर्तन कर पुनः अन्य निवेशकों को बेचा गया। इस प्रकार आम जनता को आभासी वाणिज्यिक स्थानों कि आड़ में धोखा देकर एक कपटपूर्ण पोंजी योजना संचालित की जा रही थी। जांच में यह भी पाया गया कि निदेशकों एवं प्रवर्तकों द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्रित धनराशि का उपयोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु किया जा रहा था, जिसमें गुरुग्राम स्थित उच्च श्रेणी के आवासीय अपार्टमेंट तथा गोवा में नौका आदि शामिल हैं।

तलाशी अभियान के दौरान ₹1.05 करोड़ नकद जब्त किया गया, लॉकरों को फ्रीज किया गया तथा लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य के स्वर्ण एवं आभूषण बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त, संपत्तियों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज, अनेक डिजिटल उपकरण एवं अन्य अपराध-संकेतिक सामग्री जब्त की गई तथा कुछ बैंक खातों को फ्रीज किया गया। गुरुग्राम, गोवा एवं महाराष्ट्र में स्थित भूमि, भवन आदि के रूप में कई अचल संपत्तियों की पहचान की गई है, जो प्रथम दृष्टया आपराधिक गतिविधियों से अर्जित प्रतीत होती हैं।

ध्रुव शर्मा एवं शिरीन शर्मा को हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है तथा वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं, जबकि अनुभव शर्मा एवं ममता शर्मा फरार हैं।

मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।